

न्यायालय श्रीमान राज ख मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म.प्र.



मंगल प्रसाद साकेत तनय भजन साकेत उम्र 65 वर्ष, नि.

रामनगरी तह. हनुमना, जिला-रीवा म.प्र.

— निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

सरजू तनय दुलारे चमार उम्र 70 वर्ष, नि. रामनगरी, थाना शाहपुर तह. हनुमना

जिला-रीवा म.प्र.

— गैर निगरानीकर्ता/अना.

निगरानी विरुद्ध आदेशादि. 31.5.10 बावत

प्रकरण क्र. 47 अ /12/08-09 तहसीलदार

पुस्त पहाडी, तह. हनुमना, जिला-रीवा म.प्र.

अंतर्गत धारा 50 रू 1 रू म.प्र. भू-रा.सं.

सन् 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है।

2. यह कि अधी. न्याया. द्वारा अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता की आ.नं. 199/2, 201/2 का सीमांकन किया गया है, जबकि निगरानीकर्ता/आवेदक तरहददी का प्रतिकार होने व अमाराजी न.

200 10.12 ए. स्थित ग्राम रामनगरी का भूमिस्वामी है, और प्रकरण के लिये आवश्यक व हितबद्ध व्यक्ति था, किन्तु अधीनस्थ क्रमशः.

मंगल प्रसाद साकेत

कमांक 2220
सिफारस पोस्ट द्वारा आज
दिनांक को प्राप्त
7-8-12
मार्क ऑफिस कोर्ट
राजस्थान मण्डल न.प्र. ग्वालियर

अधिकृत श्री खिताबत
शिपाही द्वारा युक्त
रीवा, दि. 30.07.2012
30/07/12

M

प्र. अं.
[Redacted]

य संपुक्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र० R.2815-II/12

जिला-रीवा

मंगल प्रसाद साकेत/सरजू चमार

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	